

मांग संख्या 69

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹7500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹12500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹639.27 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹6,39,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹7500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹12500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹543.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,43,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹201.88 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,01,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹171.615 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,71,61,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹841.15 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹8,41,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹715.065 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹7,15,06,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4217

मद क्रमांक 11

अमृत मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹14418.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,44,18,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

अमृत मिशन योजनान्तर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹5021.664 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹50,21,66,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।